कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)
दूरभाषः— 07774—299120, ईमेल—dlsa.sarguja@gmail.com

// विज्ञापन //

क्रमांक — 19 /जि.वि.से.प्रा./2024 अम्बिकापुर, दिनांक—15/01/2024
16

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03/02/2024 सायं 05.00 बजे तक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के अंतर्गत कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम (LADCS) के लिये कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर(टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **अंतिम तिथि 03/02/2024 के सायं 5.00** बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर जिला सरगुजा, (छ0ग0) में रखे गये ड्रॉप बाक्स में डालकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। (अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	निकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	निकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	निकभूतपूर्व	मुक्त	महिला	दिव्यांग	निकभूतपूर्व
1.	कार्यालय सहायक/क्लर्क	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2.	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3.	कार्यालय भृत्य	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	योग	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—

टीपः—

क. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन शासित होंगे।

ख. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा, नियुक्ति दिनांक से **01 (एक) वर्ष** की अवधि के लिये होगी। नियुक्त किये गये कर्मचारी की उपस्थिति, कार्य, व्यवहार इत्यादि संतोषप्रद होने पर, नालसा के निर्देशानुसार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. परीक्षा तिथि नियत करने एवं भर्ती प्रकिया संबंधी नियम एवं शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) कार्यालय सहायक/कलर्क पद के लिये–

अ– एकमुश्त वेतन(संविदा) (क्लास बी) :– 17,000/– रुपये (मासिक)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्युटर संचालित करने की क्षमता।

(3) हिन्दी टायपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट।

(4) डिक्टेशन लेने की एवं डेटा भरने की क्षमता।

(5) फाईलों का रखरखाव व प्रकिया का ज्ञान होना चाहिए।

(2) रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर(टायपिस्ट) पद के लिए–

(अ) एकमुश्त वेतन(संविदा) (क्लास बी) :– 14,000/– रूपये, मासिक

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) उत्कृष्ट, मौखिक और लिखित संवाद दक्षता होनी चाहिये।

(3) शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण की क्षमताएं होनी चाहिये।

(4) दूरसंचार प्रणालियों (टेलीफोन, फैक्स मशीने, स्वीचबोर्ड इत्यादि) पर काम करने की क्षमता होनी चाहिये।

(5) कम्प्यूटर में अच्छी टायपिंग स्पीड की दक्षता होनी आवश्यक है।

(3) कार्यालय भृत्य पद के लिए –

(अ) एकमुश्त वेतन(संविदा) (क्लास बी) :– 10,000/– रुपये (मासिक)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट), एवं कार्यालय भृत्य

(1) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो,

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(2) उम्मीद्वार ने दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

(3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु नियम व शर्ते :–</u>

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3 (एक) (1) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

3 (एक) (2) – छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक) (3)– ऐसे अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरुप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>:– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3(एक) (4) – ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3(एक) (5) – महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक) (6) – शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रुप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक) (7) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(एक) (8) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3(एक) (9) – संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक)(10) –शारीरिक रुप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3(दो)(1) – आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट :–आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो) (2) – विकम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

<u>टीप</u> :–(1) बिन्दु कमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु कमांक 3(दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दू कमांक 3 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण</u> :–यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विकम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विकम पुरूस्कार के आधार वाले पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगा।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया :–</u>

1- विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में पूर्णतः एवं स्पष्ट भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को **दिनांक–03/02/2024.को सायं 5.00 बजे** तक <u>कार्यालय जिला विधिक सेवा</u>

प्राधिकरण अम्बिकापुर जिला सरगुजा, (छ0ग0) में रखे ड्राप बाक्स में डालकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त होने पर स्वीकार किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किये जायेंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यार्थी को एक से अधिक पदो के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रकिया :–

कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)(संविदा) के पद हेतुः–

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति के विवेकाधीन, एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक–एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर ही (√) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा।

नोटः– अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही (√) चिन्ह अंकित करना होगा। सही (√) चिन्ह को (√) लगाकर पुनः दूसरे विकल्प पर सही (√) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा सही (√) चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जावेगा।

उक्तानुसार लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 30 मिनट (तीस मिनट) की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर विज्ञापित पद के 10 गुना अनुपात में आवेदकों को चयन प्रकिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

नोटः– उपरोक्त दोनों पदों हेतु एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)(संविदा) के पद हेतुः–

1. **कार्यालय सहायक/क्लर्क हेतु :–** कौशल परीक्षा–50 अंकों तथा साक्षात्कार 20 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा हेतु उम्मीद्वारों को करीब 200 शब्दों का गद्यांश, दिया जाएगा, जिसे कि 08

मिनट की समय–सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर पर <u>उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस</u> में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/4 अंक काटा जावेगा।

2. **रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)(संविदा):–** कौशल परीक्षा–50 अंकों तथा साक्षात्कार 20 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा हेतु उम्मीद्वारों को करीब 200 शब्दों का गद्यांश, दिया जाएगा, जिसे कि 08 मिनट की समय–सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर पर <u>उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस</u> में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/4 अंक काटा जावेगा।

3. लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा नही ली जाकर, सीधे ही कौशल परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में, मेरिट के आधार पर कुल 10 (दस) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आहुत किया जाएगा। यदि मेरिट के दसवें नंबर पर एक से अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हों, तो उन सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहुत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कौशल परीक्षा के 50 अंक व साक्षात्कार के 10 अंक कुल 60 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। किन्तु यदि लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है तो साक्षात्कार 20 अंक का होगा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक तथा कौशल परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग कर, कुल 120 अंक में से प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. एक से अधिक अभ्यर्थी, को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में, अभ्यर्थी के जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कौशल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि कौशल परीक्षा में भी उनका समान अंक हो तो स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। उन अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में भी समान अंक होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

<u>कार्यालय भृत्य के (संविदा) पद हेतु – चयन प्रकिया :–</u>

(1) साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा। रिक्त पदों हेतु उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या यदि बहुत अधिक पायी जाती है, तो चयन समिति के विवेकाधीन, एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक–एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर ही (√) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा।

नोटः– अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही (√) चिन्ह अंकित करना होगा। सही (√) चिन्ह को (√) लगाकर पुनः दूसरे विकल्प पर सही (√) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा सही (√) चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जावेगा।

(2) उक्तानुसार लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, इस पद हेतु परीक्षा की अवधि केवल 30 मिनट (तीस मिनट) की होगी। इस लिखित

परीक्षा के मेरिट के आधार पर विज्ञापित पद के 20 गुना अनुपात में आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा।

(3) कार्यालय भृत्य के (संविदा) पद हेतु, अभ्यर्थी का चयन, साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर ही, मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस पद पर चयन किये जाने हेतु साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी के शारीरिक क्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्य हेतु उनकी अभिरुचि, अतिरिक्त दक्षता या कौशल, आदि के संबंध में परखा जाएगा।

(4) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। एक से अधिक अभ्यर्थी, को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में, अभ्यर्थी के जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि उन अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो आठवीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। उन अभ्यर्थी की आठवीं परीक्षा में भी समान अंक होने पर कक्षा दसवीं के प्राप्तांक तथा कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर उनके बेहतर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

" परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।"

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–

(1) चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला न्यायालय के वेबसाईट https://surguja.dcourts.gov.in में अपलोड की जावेगी।

(2) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

(3) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) को होगा।

(4) चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।

(5) जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

(6) कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :– प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।**

8. <u>अन्य आवश्यक सूचनाएं</u> :–

A. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

B. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

C. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु आवश्यक अर्हता रखते हैं। यदि चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर या चयन के बाद भी यह पाया जाता है कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अर्हता नही रखते हैं, तो उन्हें किसी भी स्तर पर अपात्र घोषित किया जा सकता है।

नोट :– पात्र अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।**

D. उक्त भर्ती प्रकिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जा सकेगी। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे।

स्थान :– अम्बिकापुर

दिनांक :–15/01/2024

15/01/2024

अध्यक्ष

भर्ती एवं चयन समिति

कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अम्बिकापुर जिला –सरगुजा (छ0ग0)

अनुमोदित

16.1.24

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

एवं जिला न्यायाधीश

सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारुप

कार्यालय सहायक/कलर्क,रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट), कार्यालय भृत्य (संविदा) के पद हेतु :–

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित करें

प्रति,

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में) ....

3. लिंग (संकेतांक) पुरुष– 1, महिला– 2, अन्य– 3 ....

4. पिता/पति का नाम ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) ....

....

(ब) स्थायी पता ....

....

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) ....

(शब्दों में) ....

(ब) दिनांक 01.01.2024 को आयु वर्ष .... माह ....दिन....................

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है? ....
हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

8. अ. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूति जनजाति/अन्यपिछड़ा वर्ग का सदस्य है? ....
हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

ब. अनुसूचित जाति/अनुसूति जनजाति/अन्यपिछड़ा वर्ग अंकित करें। ....

9. अ. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

ब. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत ....

10. क्या आवेदन भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं ....
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक ....

12. रोजगार कार्यालय का नाम ....

13. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं ....

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि ....

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं ....
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)

17. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

(1) .... (2) ....

(3) .... (4) ....

(5) .... (6) ....

(7) .... (8) ....

स्थानः–
दिनांक :–

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
नामः–..
पताः– ....
....

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदित पद हेतु इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, और यदि गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता सहित
मोबाईल नं. एवं ई–मेल